कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की

पत्रांकः– /प्र0ख0/निष्प्रोज्य वाहन/नीलामी दिनांक 6.8.2022

नीलामी की सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड शासन की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रशासन खण्ड सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की द्वारा सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की की कार्यशाला /गैराजों में खड़े निम्नलिखित निष्प्रोज्य घोषित वाहनों हेतु बोलियॉ आमंत्रित की जाती हैं। निष्प्रोज्य वाहनों की नीलामी दिनांक 23.08.2022 (मंगलवार) को सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की के ऑडिटोरियम में पूर्वान्ह 11.00 बजे "जहॉ है, जैसा है" के आधार पर नीलाम किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित स्थान एंव समय पर बोली में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एंव आवश्यक नियम एंव शर्ते संस्थान की website www.iriroorkee.res.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में प्रस्तुत होकर धनराशि रू0 200.00 मात्र जमा कराने के उपरान्त प्राप्त कर सकते हैं। निष्प्रोज्य वाहनों का विवरण एंव न्यूनतम मूल्य एंव अग्रिम राशि निम्नवत है।

संदर्भित वाहनों का विवरण

क्र0 सं0	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वाहनों का न्यूनतम मूल्य रू0	धरोहर राशि 25% (18% जी0एस0टी0सहित) रू0
1	एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल–1993	यू0पी0–10–ए–3159	23000.00	5750.00+ 1035.00 = 6785.00
2	एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल–2004	यू0ए0–07 एच0–0985	24000.00	6000.00+ 1080.00 = 7080.00
3	जीप (डीजल चलित)माडल– 1988	यु0एम0यू0–8590	27000.00	6750.00+ 1215.00 = 7965.00
4	जीप (डीजल चलित)माडल– 1982	यू0आर0एफ0–8065	25000.00	6250.00+ 1125.00 = 7375.00

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की

पत्रांकः–1357/प्र0ख0/ तदिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य अभियन्ता स्तर –1 परिकल्प एंव निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की।
2– अधीक्षण अभियन्ता,शोध मण्डल/परिकल्प मण्डल/नलकूप मण्डल,रूड़की।
3– जिलाधिकारी ,हरिद्वार।
4– श्री आशीष वर्मा,अध्यक्ष निष्प्रयोज्य वाहन नीलामी समिति/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,कलक्ट्रेट,हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित है कि नीलामी तिथि 23.08.2022 को प्रशासन खण्ड, रूड़की में ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें।
5– अधिशासी अभियन्ता,परिकल्प खण्ड/सिंचाई खण्ड/नलकूप खण्ड/स्थापना खण्ड/सिंचाई कार्यशाला खण्ड,रूड़की।
6– शोध अधिकारी, आधारन्वेषण इकाई,रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नीलामी की सूचना को संस्थान की बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
7– सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,रूड़की ,सदस्य, निष्प्रयोज्य वाहन नीलामी समिति प्रशासन खण्ड,रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित है कि नीलामी तिथि 23.08.2022 को प्रशासन खण्ड, रूड़की में ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें।
8– श्रीमती पिंकी राणा , खण्डीय लेखाधिकारी , प्रशासन खण्ड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की।
9– सहायक अभियन्ता –द्वितीय,प्रशासन खण्ड,रूड़की को इस निदेश के साथ प्रेषित है कि इच्छुक बोली दाताओं द्वारा इस खण्ड की नीलाम किये जाने वाले वाहनों का निरीक्षण नीलामी की सूचना प्रकाशन होने के पश्चात नीलामी की तिथि के एक दिन पहले तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे तक किया जाना है जिस हेतु आवश्यक व्यवस्थाए पूर्ण करना सुनिष्चित करे।
10–थाना अध्यक्ष थाना गंगनहर रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नीलामी नीलामी तिथि को उपस्थित होने का कष्ट करें ताकि नीलामी की प्रकिया को शान्ति पूर्वक सम्मपन कराया जा सके।
11– नोटिस बोर्ड सिंचाई अनुसंधान संस्थान/सिंचाई परिकल्प संगठन,रूड़की।

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की

नियम एंव शर्तेः–

1. नीलाम किये जाने वाले वाहन जो सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की की कार्यशाला एंव गैराजों में हैं का निरीक्षण नीलामी सूचना प्रकाशित होने के पश्चात किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि के एक दिन पूर्व तक प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक किया जा सकता है।
2. प्रत्येक वाहन की बोली पृथक–प्रथक दी जायेगी।
3. वाहन **"जैसा है जहॉ है"** के आधार पर नीलाम किया जायेगा तथा नीलामी के बाद उसी स्थान से उठाया जायेगा।
4. बोलीदाता को राजकीय सामान की नीलामी की शर्ते जो भी विभाग द्वारा निश्चित की जायेगी का पालन करना होगा।
5. बोलीदाता को निम्न दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में दिनांक 17.08.2022 के सांय 4.00 बजे .तक जमा करनी होगी एंव मूल प्रति अपने साथ लायेगें एंव समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें ताकि उनका सत्यापन किया जा सके :–

(I) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो कि नीलामी तिथि से छः माह से पूर्व का न हो।

(II) पैन न0 एंव जी0.एस0.टी0 नम्बर।

(III) पहचान के लिये बोलीदाता का आधार कार्ड।

(IV) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत बोलीदाता का न्यूनतम रू0 99000.00 का हैसियत प्रमाण पत्र।

(V) इच्छुक बोलीदाता दिनांक 17.08.2022 तक प्रत्येक वाहन की अलग–अलग **1.**एम्बेस्डर कार यू0पी0–10–ए–3159 (पैट्रोल चलित) माडल–1993 के लिये रू0 6785.00(रू0 छः हजार सात सौ पिचांस्सी मात्र) **2.** एम्बेस्डर कार यू0ए0–07 एच0–0985 (पैट्रोल चलित) माडल–2004 के लिये रू0 7080.00 (रू0 सात हजार अस्सी मात्र) **3.** जीप यु0एम0यू0–8590 (डीजल चलित) माडल– 1988के लिये रू0 7965.00 (रू0 सात हजार नौ सौ पैसठ मात्र) तथा **4.** जीप यू0आर0एफ0–8065 (डीजल चलित) माडल– 1982 के लिये रू0 7375.00 (रू0 सात हजार तीन सौ पिछत्तर मात्र) F.D.R /C.D.R/Post office pasbook/ N.S.C/K.V.P (मूल प्रति) के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता के नाम बन्धक होगी जमा करनी होगी।

6. अधिकतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए बोली की धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि बोली छूटने के बाद 24 धन्टे तक जमा करनी होगी। नीलामी की शेष धनराशि नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त सात दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।बोलीदाता यदि 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसकी अग्रिम धनराशी जब्त कर ली जायेगी।
7. अधिकतम बोली की राशि पर बोलीदाता को नियमानुसार जी0एस0टी0 व अन्य कर अलग से देना होगा।
8. बिना कारण बताये नीलामी अथवा किसी भी बोली को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
9. नीलामी से सम्बन्धित किसी विवाद का दावा माननीय न्यायालय जनपद हरिद्वार के क्षेत्र में ही मान्य होगा।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा वाहनों की न्यूनतम बोली की धनराशि निम्नवत निर्धारित की गयी है–

<u>संदर्भि वाहनों की न्यूनतम बोली की धनराशी</u>

क0सं0	वाहन संख्या तथा मेक एंव माडल	रजिस्ट्रशन संख्या	न्यूनतम मूल्य रू0
01	एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल–1993	यू0पी0–10–ए–3159	23000.00
02	एम्बेस्डर कार(पैट्रोल चलित) माडल–2004	यू0ए0–07 एच0–0985	24000.00
03	जीप (डीजल चलित)माडल– 1988	यु0एम0यू0–8590	27000.00
04	जीप (डीजल चलित)माडल– 1982	यू0आर0एफ0–8065	25000.00
	Total Rs		

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड
सिंचाई अनुसंधान संस्थान,रूड़की